कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक 11 /री0ए0डी0एम0/2017 इन्दौर, दिनांक 12/02/2017

आदेश

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

पुलिस व नगर पालिक निगम द्वारा समय-समय पर अवगत कराये गये अनुसार व शहर में हुई कुछ घटनाओं तथा अखबारों आदि के माध्यम से भी अवगत कराये अनुसार यह बिन्दु प्रमुख रूप से प्रकाश में आया है कि शहर में अनियंत्रित आवारा पशुओं के स्वच्छंद विचरण व इन पशुओं के घायल तथा मृत पाये जाने पर कई बार कानून एवं व्यवस्था की स्थिति निर्मित हुई है । शहर में इस प्रकार के आवारा पशुओं के स्वच्छंद विचरण के कारण जहां एक ओर यातायात अवरूद्ध तो होता ही है साथ में गंभीर दुर्घटना होने की आशंका भी बनी रहती है । शहर में आवारा पशुओं के शहर में स्वच्छन्द विचरण के दौरान कई बार बेकाबू हो जाने से आमजन की जान-माल को खतरा उत्पन्न हो जाता है । विगत् कुछ दिनों में शहर में इस प्रकार की घटित घटनाओं से शहर में अशांति व्याप्त होने की आशंका निर्मित हो रही है तथा तनाव व साम्प्रदायिक स्थिति निर्मित होने का खतरा लगातार बना हुवा है । आवारा पशुओं के स्वच्छन्द विचरण के दौरान शहर में किसी भी समय उनकी इन हरकतों की आशंकाएं व्याप्त होने से जन-जीवन प्रभावित हो सकता है । पूर्व में भी समय-समय पर इस संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये है ।

अतः इन्दौर नगर निगम सीमा में आवारा पशुओं के विचरण से कानून एवं व्यवस्था तथा साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति को रोकने व आमजन के जान-माल को आसन्न खतरा उत्पन्न होने की स्थिति को रोकने हेतु इस पर अंकुश लगाये जाने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है ।

अतः मैं **पी. नरहरि, जिला दण्डाधिकारी,** जिला इन्दौर दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत जन सामान्य के हित/जानमाल एवं लोक शांति को बनाये रखने हेतु इन्दौर नगर निगम सीमा में निम्न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता हूँ :-

1. यह कि इन्दौर नगर निगम सीमा क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर पशु पालन को पूर्णतया प्रतिबन्धित किया जाता है । पशु पालको का यह दायित्व होगा कि वे अपने पशुओं को पशु पालन हेतु प्रतिबंधित एरिया के बाहर ही रखें । यदि कोई आवारा पशु इस सीमा क्षेत्र में घूमते पाये जायेंगे तो संबंधित पशु पालकों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी । साथ ही नगर निगम या किसी शासकीय एजेन्सी द्वारा आवारा पशुओं की, की जा रही धरपकड़ की कार्यवाही के दौरान यदि किसी व्यक्ति द्वारा व्यवधान उत्पन्न किया जाता है तो उसके विरूद्ध भी दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी । यदि प्रतिबंधित एरिया में किसी संरचना या बाड़े में अधिक संख्या में

पशुओं का पालन करना पाया जाता है, तो ऐसी संरचना या बाड़ों को आदेश जारी होने के 07 दिवस के भीतर हटा लिया जावें अन्यथा उन्हें तोड़कर हटाया जावेंगा । सार्वजनिक स्थानों यथा सड़कों आदि पर आवारा पशुओं के विचरण को उक्त आदेश के प्रभावी होने से ही प्रतिबंधित किया जाता है ।

2. नगर निगम द्वारा विशेष टीमों का गठन कर लगातार आवारा पशुओं को पकड़ने की मुहिम जारी रखी जाएंगी तथा इन आवारा पशुओं को पकड़ने पर सुरक्षित कांजी हाउस में इन्हें रखा जावें तथा किसी भी स्थिति में वापस छोड़ा न जावें । ऐसे पकड़े गये आवारा पशुओं को शहर से लगभग 50-55 किलोमीटर दूरस्थ ऐसे स्थलों पर भेजा जावें, जहां आस-पास पानी तथा चारे की सहज उपलब्धता हो सकें । यदि इन पशुओं को शहर से बाहर ले जाने की कार्यवाही के दौरान यदि किसी व्यक्ति द्वारा व्यवधान उत्पन्न किया जाता है तो उसके विरूद्ध भी दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी ।
3. नगर निगम द्वारा इन कार्यवाहियों में व्यवधान उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों/पशु पालकों की सूची तैयार करवाकर, थानों पर प्रकरण दर्ज करावकर, उनके विरूद्ध द0प्र0सं0 की धारा-188 की कार्यवाही सुनिश्चित् कराएंगा ।
4. जो स्वयं के दुध के उपयोग हेतु पशु पालन कर रहे है, उनके पशु वे अपने कैम्पस के अन्दर ही रखेंगे । ये पशु सार्वजनिक स्थलों पर न आने पावे, ये सभी पशु पालक सुनिश्चित् करेंगे ।
5. नागरिकों द्वारा हरी घास /पशु चारा क्रय कर सार्वजनिक स्थल पर मवेशियों को खिलाने हेतु डाला जाना तथा इस प्रकार एंव ऐसे स्थलों पर ही घास तथा पशु चारा के विक्रय/दान आदि को प्रतिबंधित किया जाता है । यह **<u>प्रतिबंध केवल इन्दौर नगर निगम सीमा</u>** क्षेत्र में प्रभावशील रहेंगा । कोई भी व्यक्ति न तो इस प्रयोजन हेतु सार्वजनिक स्थल पर हरी घास का विक्रय करेगा और न ही ऐसे स्थलों पर पशुओं को हरी घास डालने हेतु प्रेरित करेगा । यदि कही ऐसा होना पाया जाता है तो तत्काल नगर निगम या अन्य शासकीय एजेंसी द्वारा मौके पर ही घास को जप्त कर नष्ट किया जावेंगा । नगर निगम द्वारा इस प्रकार जप्त घास को तत्काल मौके पर से हटाने हेतु मुहिम के दौरान इस हेतु खाली वाहन भी साथ में रखेंगे ।

चूंकि यह आदेश जन साधारण की सुविधा हेतु तत्काल पालन हेतु प्रभावशील किया जाना आवश्यक हो गया है और इतना समय उपलब्ध नहीं है, कि जन सामान्य व पशु पालकों एवं सभी पक्षों को उक्त सूचना की तामिली की जा सकें, अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है । आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा । अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तो से छूट दे सकेगा ।

District Magistrate,
District-Indore (M.P.)

यह आदेश दिनांक 22/02/2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया । उक्त आदेश दिनांक 23/02/2017 से दिनांक 22/04/2017 तक प्रभावशील रहेगा तथा उक्त प्रभावशील अवधि में उक्त आदेश का उल्लघंन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा ।

URGENT

(पी. नरहरि)
जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर.

पृ0क्रमांक / 12 /री.ए.डी.एम./2017 इन्दौर, दिनांक : 22/02/2017

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर ।
2. पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर रेंज इन्दौर ।
3. पुलिस उप महानिरीक्षक, इन्दौर ।
4. पुलिस अधीक्षक(मुख्यालय)/पूर्व/पश्चिम, जिला इन्दौर ।
5. आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर ।
6. अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर ।
7. अति0पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय/पूर्व क्षेत्र/पश्चिम क्षेत्र/यातायात, इन्दौर ।
8. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, सेन्ट्रल कोतवाली, विजय नगर, मल्हारगंज, राऊ, जूनी इन्दौर, संयोगितागंज, इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
9. नगर पुलिस अधीक्षक, विजयनगर, सराफा, मल्हारगंज, सेन्ट्रल कोतवाली, जूनी इन्दौर, अन्नपूर्णा, संयोगितागंज ।
10. उप पुलिस अधीक्षक, जिला विशेष शाखा, इन्दौर ।
11. अपर संचालक, जन सम्पर्क इन्दौर की ओर भेजकर लेख है कि वह जनसाधारण के सूचनार्थ उक्तादेश का प्रचार-प्रसार इलेक्ट्रानिक एवं प्रिन्ट मीडिया के माध्यम से आवश्यक रूप से करवाकर, कटिंग इस कार्यालय को प्रेषित करें ।
12. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, कलेक्टोरेट, इन्दौर की ओर जिला प्रशासन की बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
13. थाना प्रभारी, थाना .... की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ । उक्त आदेश का विस्तृत प्रचार-प्रसार लाउड स्पीकार से करवाने तथा प्रमुख स्थानों पर चस्पा हेतु अग्रेषित ।
14. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, इन्दौर ।

जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर.
District Magistrate,
District-Indore (M.P.)